10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA RS.10 दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2014 Regn 1248 PBR/14

विनोद भार्गव अधि० द्वारा आज दि. 16-4-14 को प्रस्तुत

कार्यालय कोर्ट 16-4-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

दि, ग्वालियर शुगर कंपनी लिमि. डबरा, द्वारा विधि अधिकारी एवं मुख्त्यारआम प्रभात पाण्डे / आनंद श्रीवास्तव

——आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

——अनावेदक

श्रीमती शशिकला बाथम शपथ आयुक्त ग्वालियर 5875 15-4-14

म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 09 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण 4428–पी.बी.आर./2012 के पुनः स्थापन हेतु आवेदन पत्र।

विनोद भार्गव एडवोकेट

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रेस्टो0 1248–पीबीआर/14 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–6–2014	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21–1–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–1–2014 के विरूद्ध पुर्नस्थापन आवेदन पत्र दिनांक 16–4–2014 को लगभग 50 दिन से भी अधिक विलंब से प्रस्तुत किया गया है । अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में विलंब का कारण पूर्व अधिवक्ता द्वारा आवेदक को सूचना नहीं देना दर्शाया गया है । आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि दिनांक 4–4–2014 को जब आवेदक राजस्व मण्डल में आया तब उसके द्वारा श्री विनोद भार्गव अधिवक्ता से प्रकरण की जानकारी लेने पर दिनांक 21–1–2014 को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी प्राप्त हुई । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में आवेदक की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित होते थे तथा पक्षकार को उपस्थित होने के लिये मना किया गया था परन्तु नियत दिनांक 21–1–2014 को आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुये और न ही उनके द्वारा प्रकरण अदम	

Resto 1248-PBR/14 ग्वालियर

पैरवी में निरस्त होने की जानकारी आवेदक को दी गई। अतः अधिवक्ता की त्रुटि के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये । प्रति उत्तर में शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 4–4–2014 को आवेदक को प्रकरण दिनांक 21–1–2014 को अदम पैरवी में निरस्त होने की जानकारी प्राप्त हो गई थी और उनके द्वारा उसी दिनांक 4–4–2014 को नकल प्राप्त कर ली गई है । इसके बावजूद भी दिनांक 16–4–2014 को पुर्नस्थापन आवेदन प्रस्तुत किया गया है और दिनांक 4–4–2014 से 16–4–2014 तक पुर्नस्थापन आवेदन पत्र क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया इसके संबंध में दिन प्रति दिन का कारण आवेदन पत्र में नहीं दर्शाया गया है ।

2 इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21–1–2014 को प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है और आवेदक की ओर से पुर्नस्थापन आवेदन पत्र लगभग 80 दिन से भी अधिक अवधि के पश्चात प्रस्तुत किया गया है । पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु 30 दिन की समय सीमा निर्धारित है । अतः आवेदक की ओर से पुर्नस्थापन आवेदन पत्र लगभग 50 दिवस से भी अधिक विलंब से प्रस्तुत किया गया है और विलंब का कारण आवेदक के अधिवक्ता द्वारा सूचना नहीं दिया जाना दर्शाया गया है तथा दिनांक 4–4–2014 को आवेदक राजस्व मण्डल में आने पर जानकारी होना बताया गया है, परन्तु उन परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया है कि किन परिस्थितियों में आवेदक दिनांक 4–4–2014 को राजस्व मण्डल में उपस्थित हुआ । इसके अतिरिक्त

Resto 1248 - PBR/14 ग्वालियर

जब आवेदक द्वारा दिनांक 4–4–2014 को नकल प्राप्त कर ली गई थी, और चूँकि पूर्व में पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में विलंब हो चुका था अतः आवेदक का दायित्व था कि वह नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत करता, परन्तु उसके द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर, नकल प्राप्त होने के 12 दिन पश्चात पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और उक्त 12 दिवस तक पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने का कारण आवेदन पत्र में नहीं दर्शाया गया है । अतः विलंब का कारण समाधानकारक नहीं होने से यह पुर्नस्थापन आवेदन पत्र अवधि बाह्य प्रस्तुत किया जाना मान्य करते हुये निरस्त किया जाता है ।

Noted
6.6.14

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष